गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

पत्रांक– 1291/MP-5/24 दिनांक–20/01/2024

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संदीप कुमार गर्ग पुत्र श्री विष्णु स्वरूप गर्ग, निवासी–142 रोगन ग्रान दिल्ली गेट, गाजियाबाद द्वारा खसरा संख्या– 1252मि0 व 1253 क्षेत्रफल 5443.60 वर्ग मी0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद पर होटल भवन हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि पर नियोजन अनुभाग की आख्यानुसार "टोटल स्टेशन सर्वे/अभिलेखों एवं गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग 60 मी0 चौडे जी.टी. रोड व 30 मी0 चौडें रोड के मार्गाधिकार की भूमि छोडने के उपरान्त शेष भाग हल्के एवं लघु उधोग हेतु प्रदर्शित है। हल्के एवं लघु उधोग भू–उपयोग में गाजियाबाद महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार होटल क्रिया अनुमन्य है।" ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन–सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/ सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जा सकेंगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : **helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb**

हेल्पलाईन नं: **0120-4418384** व्हाट्सएप : **9990988004**, वेबसाईट : **www.gdaghaziabad.in**

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प